झारखंड राज्य फसल राहत योजना

(अनुलग्नक 2)

आवेदक किसान (बटाईदार किसान एवं सरकारी भूमि पर कृषि करने वाले) द्वारा घोषणा/शपथ पत्र

मैं ....., पिता /पति....., ग्राम....., पो0 ....., प्रखंड ....., जिला ....., राज्य ..... घोषणा करता / करती हूँ कि,

1. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा/लोकसभा/विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री / नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष नहीं रहे हैं।
3. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई /राज्य सरकार के मंत्रालय/PSE एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के कार्यरत या सेवानिवृत पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff /Group IV/ Group-D के कर्मी को छोड़कर) नहीं रहे हैं।
4. मैं सेवा निवृत पेंशनधारी नहीं हूँ। / सेवा निवृत पेंशनधारी हूँ और मेरी मासिक पेंशन रु. 10,000/– से कम है। (अनुपयुक्त को काट दें)
5. मै आयकर के दायरे में नहीं आता हूं और मैंने विगत निर्धारण वर्षों में आयकर जमा नहीं किया है।
6. मैं पेशेवर सेवा प्रदाता (निबंधित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं) नहीं हूँ।
7. मैंने अन्य रैयत / सरकारी कृषि योग्य भूमि (जिसका विवरण एवं दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया गया है) में रबी फसल वर्ष ..... में फसलों की बुआई किया है। बुआई अंतर्गत फसल का रकबा निम्न है:

क्र0 सं0	फसल मौसम	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)
1	रबी	गेहुं	
2	रबी	सरसों	
3	रबी	चना	
4	रबी	आलू	

नोट : मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही विवरणी अंकित की जाए

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण एवं सूचनाएं सही हैं। साथ ही यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण एवं सूचनाएं गलत पाए जाने की पर मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

दिनांक **आवेदक किसान का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान**

वार्ड सदस्य /मुखिया द्वारा अनुशंसा

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता हूँ।

वार्ड सदस्य/मुखिया/मानकी/मुन्डा का नाम		
पद		
मोबाइल नं0		**हस्ताक्षर एवं मुहर**

झारखंड राज्य फसल राहत योजना